

कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, जिला भोपाल (म0प्र0)

क्रमांक/361/अजिंद/2021

भोपाल, दिनांक 26/06/2021

// संशोधित आदेश //

(अंतर्गत धारा 144 दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973)

भोपाल जिले में कोरोना संक्रमण की दर में कमी को देखते हुए समय समय पर कोरोना कर्फ्यू के प्रतिबंधों में शिथिलता के संबंध में आदेश जारी किए गए हैं। इसी क्रम में मध्यप्रदेश शासन गृह विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन भोपाल के परिपत्र क्रमांक एफ 35-09/2020/दो/सी-2 दिनांक 26-06-2021 में जारी दिशा निर्देशों के परिपालन में पूर्व में जारी कार्यालयीन आदेश क्रमांक 329-330/अजिद/2021 दिनांक 15/06/2021 के बिन्दु क्रमांक-02 में उल्लेखित रविवार के जनता कर्फ्यू को तत्काल प्रभाव से समाप्त किया जाता है। रात्रिकालीन कोरोना कर्फ्यू एवं अन्य प्रावधान यथावत लागू रहेंगे।

यह आदेश दिनांक 26.06.2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया।

(अविनाश लवानिया)
कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट,
जिला भोपाल
भोपाल, दिनांक 26.06.2021

पृष्ठांकन क्रमांक/362 /अजिद/2021

प्रतिलिपि :-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

- 1- अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग मंत्रालय भोपाल।
- 2- आयुक्त, भोपाल संभाग भोपाल
- 3- अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, भोपाल जोन भोपाल।
- 4- उप पुलिस महानिरीक्षक, शहर रेंज, भोपाल।
- 5- आयुक्त, नगर पालिक निगम, भोपाल।
- 6- समस्त अपर जिला मजिस्ट्रेट, समस्त एसडीएम/समस्त कार्यपालिक मजिस्ट्रेट भोपाल।
- 7- समस्त पुलिस अधीक्षक/समस्त अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक/समस्त नगर पुलिस अधीक्षक/समस्त थाना प्रभारी भोपाल।
- 8- केन्द्र निदेशक आकाशवाणी/दूरदर्शन भोपाल।
- 9- उप संचालक, संभागीय जनसंपर्क भोपाल।
- 10- प्रभारी अधिकारी, पुलिस नियंत्रण कक्ष, जहाँगीराबाद भोपाल।

कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
जिला-भोपाल